न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

उजियारपुर थाना काण्ड सं0 19/20,कम्पयूटर निबंधन सं0 100/20

9.7.20 आवेदक **1. नुनू कुमार उर्फ ज्योतिष कुमार,** जो उजियारपुर थाना काण्ड सं0 19/20, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमोद कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसका जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि0मिस0 11188/20 में पारित आदेश दि0 11.6.20 के द्वारा हो चुका है। अतः उसे बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि0मिस0 11188/20 में पारित आदेश दि0 11.6.20 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त को मो0 बीस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर दं0प्र0सं0 की धारा–438(2) में वर्णित शर्तो के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश है। साथ ही यह भी आदेश है, कि The bail bond of the petitioner shall be accepted by the learned court below on showing receipt of deposit of Rs. 3,000/-(Rupees Three Thousand) पद जीम च्ड बंतमे निदकण अतः उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त को बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

(लेखापित)
अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद

पश्चात

9.7.20 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंद्य–पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद